निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 143/2015
दायरा दिनांकः—22.12.2015
निर्णय दिनांकः— 21.05.24

उनवान

1. नन्नुलाल आयु 55 वर्ष पुत्र सुल्तान
2. मुन्नालाल आयु 52 वर्ष पुत्र सुल्तान मृतक
2/1 मुन्नी बाई पत्नि मुन्नालाल
2/2 सुनिल पुत्र मुन्नालाल
2/3 अनिल पुत्र मुन्नालाल
2/4 कालु पुत्र मुन्नालाल
3. रामचरण आयु 53 वर्ष पुत्र सुल्तान
4. बब्बु आयु 45 वर्ष पुत्र सुल्तान
5. मोहन आयु 65 वर्ष पुत्र रघुनाथ जातियान हरिजन निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मोहनलाल आयु 68 वर्ष पुत्र माणकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी चौधरी मोहल्ला छबडा जिला बारां (राज0)
2. शांति बाई आयु 65 वर्ष पुत्री माणकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी चौधरी मोहल्ला छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजथान सरकार जर्से तहसीलदार साहब छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,183,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 21.05.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — वादी
2. श्री अविन्द प्रताप सिंह — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,90,91,183,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम कस्बा छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में वादीगण के पिता के गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 244 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल दो रकबा 05 बीघा भूमि वाके कस्बा छबडा [illegible] है। जो सम्वत् 2036—40 में सुल्तान पुत्र लीला के गैर खातेदारी में दर्ज है नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 14.06.1977 से खसरा नम्बर 251 रकबा 05 [illegible] रघुनाथ पुत्र नवल हरिजन के गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम नामान्तरण संख्या 323 दिनांक 3.12.1976 से सिवायचक दर्ज कर दी गई थी। उसके पश्चात् उक्त आराजी में सें वादीगण भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

होने के कारण वादीगण क्रम 1 ता 4 के पिता व वादी क्रम 5 मोहनलाल पुत्र रघुनाथ हरिजन को उक्त भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 05 बीघा वादी क्रम 1 ता 4 के पिता सुल्तान को व वादी क्रम 5 के पिता रघुनाथ को भूमि खसरा नम्बर में से ही 05 बीघा भूमि एलोट हुई थी। जरे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036–40 में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण के पिता द्वारा काश्त की गई किन्तु वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दादागिरी के बल पर व लठ के बल पर उक्त भूमि पर से वादीगण को बेदखल कर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने कब्जा कर राजस्वा कर्मचारियों से साठ–गाठ करके अपने खातेदारी में दर्ज करवा ली है जो वर्तमान में चालु जमाबन्दी में दर्ज है। वादीगण 1 ता 4 के पिता सुल्तान का स्वर्गवास 30 वर्ष तथा वादी क्रम 5 के पिता रघुनाथ का स्वर्गवास 20 वर्ष पूर्व हो चुका था। वादीगण ने अपने पिता के समय से ही पिता के साथ उक्त विवादग्रस्त भूमि काश्त की थी। किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने धन,बल व ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल कर कब्जा ले लिया और राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने खातेदारी में दर्ज करवा ली। वादीगण ने जब हल्का पटवारी व तहसीलदार व एस0डी0एम0 साहब को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया तो राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से मिलकर कोई कार्यवाही नही की व समय गुजार दिया जब वादीगण ने दिनांक 03.11.2015 को नकल ली तब जाकर वादीगण को ज्ञान हुआ कि उक्त जमीन प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अपने नाम करवा ली। जिसका प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अधिकार नही है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 09.12.2015 का उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टार कर प्रतिवादीगण का जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2037–40 नकल नामान्तरण नम्बर 334 ग्राम छबडा नकल नामान्तरण 323 ग्राम छबडा नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070–73 खाता सख्या 265 पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल निर्णय दिनांक 04.10.1975 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल फोटो प्रति नकल निर्णय दिनांक 28.11.1991 उनवान शांति बाई बनाम मोहनलाल फोटो प्रति नकल निर्णय दिनांक 31.10.1995 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल नकल निर्णय दिनांक 13.6.1996 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल नकल आदेश दिनांक 09.07.1996 नकल दखलनामा दिनांक 21.7.1996 नकल फोटो प्रति नामान्तरण 880 दिनांक 22.07.1996 नकल फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 265 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 302 पेश की गई साक्ष्य वादी में PW1 नन्नुलाल पुत्र सुल्तान PW2 मोहनलाल पुत्र रघुनाथ PW3 बब्लुलाल के बयान कराये गये साक्ष्य प्रतिवादी में PW1 मोहनलाल के बयान कराये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी के वाद पत्र [illegible] के आधार पर निम्न तानकीयात कायम की गई। :–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि [illegible] गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 3.15 बीघा खसरा नम्बर 244 रकबा 1.05 बीघा किता 2 रकबा 5 बीघा भूमि वाके माल छबडा में स्थित है।

तनकी नम्बर 2 :– आया कि सम्वत् 2036–40 में सुल्तान पुत्र लल्ली के जेठ

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खातेदारी में दर्ज है तथा नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 14.06.1977 से खसरा नम्बर 251 रकबा 05 बीघा रघुनाथ पुत्र नवल हरिजन के गैर खातेदारी में दर्ज है।

तनकी नम्बर 3 :– आया कि नामान्तरण संख्या 323 दिनांक 03.12.1976 से सिवायचक दर्ज की गई है। वादीगण भूमिहीन अनुसूचित जाति के साक्ष्य होने से प्रतिवादीगण ने बलपूर्वक वादीगण को बेदखल कर दिया

तनकी नम्बर 4 :– आया कि वादीगण ने बनावटी व मिथ्या तथ्यों पर वाद पेश किया है प्रतिवादी 1 मोहनलाल के विरूद्ध सरकार द्वारा सिलिंग की कार्यवाही न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा के निर्णय दिनांक 04.10.1975 से 8.12 स्टेण्र्ड एकड भूमि अतिरिक्त घोषित की अपील आर.एए साहब के यहां से वाद रिमाण्ड निर्णय 28.11.1991 से पुनः सुनवाई न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा को प्राप्त होने पर निर्णय एस0डी0ओ0 छबडा दिनांक 31.10.1995 से सिंलिग कार्यवाही ड्रोप की गयी अधिगृहण भूमि मुक्त एवं आवटंन खारिज किया प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 का कब्जा दिया पुनः प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खातेदारी में आयी।

तनकी नम्बर 5 :– आया कि उक्त आराजी पर वादीगण व उसके पिता का भी कब्जा नही रहा और वर्ततान में कब्जा नही है इसलिए वादी का वाद मेन्टेनेवल नही होने से खारिज योग्य है।

तनकी नम्बर 6 :– अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी का कथन है विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा में स्थित जो सुल्तान पुत्र लल्ली के गैर खातेदारी में दर्ज थी तथा नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 14.06.1977 से खसरा नम्बर 251 रकबा 05 बीघा भूमि रघुनाथ पुत्र नवल हरिजन के गेर खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी विवादित आराजी नामान्तरण संख्या 323 दिनांक 03.12.1976 से सिवायचक दर्ज कर दी गई वादीगण अनुसूचित जाति के भूमिहीन सदस्य होने के कारण वादीगण के पिता मोहनलाल पुत्र रघुनाथ हरिजन का उक्त भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 05 बीघा वादी क्रम 1 ता 4 के पिता रघुनाथ को एलोट हुई थी उक्त भूमि प्रतिवादीगण द्वारा जबरन लट्ठ के बल पर अनुसूचित जाति के सदस्य होने कारण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने जबरन कब्जा कर लिया तथा अपने खाते दर्ज करवा ली विवादित भूमि पर एलोट के वाद वादीगण का कब्जा था। तथा तथा वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया तथा भूमि अपने खाते दर्ज करवा ली जबकि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही था। वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण द्वारा मिथ्या एवं बनावटी पूर्ण तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो प्रतिवादीगण को परेशान करने का है मोहनलाल के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा सिंलींग की कार्यवाही न्यायालय उपजिला कलक्टर के समख पेश की थी जिसका निर्णय दिनांक 04.10.1975 को पारित किया जाकर 08.12 स्टे एकड भूमि अतिरिक्त घोषित कर अधिगृहण करने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 2 शांति बाई द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील की गई जिसका निर्णय दिनांक 28.11.1991 को पारित किया जाकर न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

C:\Users\Lenovo\Desktop\firoj all letter folder\Rambabu ji fesla file.docx

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा को निर्णय दिनांक 4.10.1975 को अप्राप्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। इस न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा दिनांक 31.10.1995 को निर्णय पारित कर न्रतिवादी 1 व 2 की भूमि दोनो सिंलीग कानून आल्ड एक्ट एवं न्यू एक्ट के द्वारा अधिकतम सीमा से कम होने के कारण विवादित भूमि पर पूर्व में की गई सिलींग कार्यवाही को ड्रोप कर दिया दिनांक 31.10.1995 के निर्णय की पालना हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा में धारा 144 सी0पी0सी0 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 13.06.1996 को पारित कर अधिग्रहण की गई भूमि से आवाथ्यिों को बेदखल कब्जा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को दिलाने हेतु तहसीलदार छबडा के नाम आदेश पारित किया गया। तहसीलदार छबडा द्वारा सिलींग को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया गया तथा नामान्तण संख्या 880 दिनांक 22.07.1996 को खोला जाकर तस्दीक कर भूमि खातेदारी में दर्ज की गई तभी से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादीत भूमि पर वादी

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का था नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2037–40 के अनुसार सुल्तान पुत्र लालजी जाति हरिजन वास गांव नामान्तरण संख्या 335 से गैर खातेदारी में दर्ज है नामान्तरण संख्या 334 गैर खातेदारी रघुनाथ,के नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 265 में मोहनलाल शांति बाई आत्मज माणकचन्द जाति ब्राहम्ण का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी कस्बा छबडा के माल में स्थित है जो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त है अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 14.06.1977 से गैर खातेदार रघुनाथ पुत्र नवल हरिजन के नाम दर्ज हुआ तथा नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2036–40 में सुल्तान पुत्र लल्ली के गैर खातेदारी दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 265 में प्रतिवादी मोहनलाल, शांतिबाई आत्मज माणकचन्द जाति ब्राहम्ण का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल निर्णय दिनांक 13.06.1996 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल वगै0 में माननीय न्यायालय द्वारा आवटंन निरास्तीकरण की कार्यवाही कर आंवटियों को बेदखल करने पर प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने का आदेश तहसीलदार छबडा को दिया गया था। इससे यह साबित होता है कि वादीगण को भूमि आंवटित की गई तथा गैर खातेदारी भी दर्ज हो गई थी परन्तु वादीगण द्वारा आवटंन निरस्त कर तथा भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रतिवादीगण को देने का आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार छबडा द्वारा प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरण खोलकर तस्दीक किया गया तथा खातेदारी दर्ज की गई वर्तमान में भूमि प्रतिवादी 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज है अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णत की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था नकल नामान्तरण संख्या 323 दिनांक 21.12.1976 सिलिंग एक्ट में भूमि अधिग्रहण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh
Date: 2024.05.23 17:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नर खोला जाकर भूमि सिवायचक दर्ज की गई सिवायचक भूमि का आवटंन सुल्तान हरिजन,रमेशचन्द हरिजन एवं रघुनाथ हरिजन को किया गया। उक्त आवटंन के विरूद्ध खातेदार शांतिबाई द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.1991 को निर्णय पारित कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी छबडा को रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी छबडा प्रकरण में पुनः सुनवाई कर दिनांक 31.10.1995 को निर्णय पारित कर अप्राथीगण की कुल भूमि दोनो सिलिंग कानून यानि ओल्ड एक्ट एवं न्यू एक्ट के द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है विवादित भूमि पर शुरू की गई सिलिंग कार्यवाही को कोई ओचित्य व आधार नही है सिलिंग कार्यवाही ड्रोप की गई तथा दिनांक 13.06.1996 को न्यायालंय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा धारा 144 सी0पी0सी0 में निर्णय पारित कर आवटियों को बेदखल कर कब्जा अप्रार्थीगण मोहनलाल व शांतिबाई को दिलाने का आदेश किया गया उक्त आदेश की पालना में आवंटियों को बेदखल कर कब्जा अप्रार्थी मोहनलाल व शांतिबाई को दिलाया गया प्रार्थी वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है उनको सिलिंग भूमि का आवटंन किया गया था परन्तु जिस खातेदारान से भूमि सिलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई वह भूमि सिलिंग कानून एक्ट के तहत नही आ रही थी इसलिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को किया गया आवटंन निरस्त कर कब्जा पूर्व खातेदारान को दिलाने के आदेश होने पर ही आवटियों को बेदखल कर कब्जा पूर्व खातेदारान को दिलाया गया। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 04.10.1975 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल में 8.12 स्टे0 एकड अधिग्रहण की गई उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपीलकी गई माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.1991 के उपखण्ड अधिकारी छबडा का निर्णय दिनांक 4.10.1975 खारिज कर पुनः सुनवाई पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी छबडा को रिमाण्ड किया गया नकल निर्णय दिनांक 31.10.1975 से उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पुनः सुनवाई करते हुये अधिग्रहण की गईभूमि सिलिंग सीमा में नही आने एवं सिलिंग सीमा से कम होने के कारण सिलिंग कार्यवाही ड्रोप की गई। उपखण्ड अधिकारी छबडा के निर्णय दिनांक 31.10.1995 की पालना हेतु प्रार्थना पत्र धारा 144 सी0पी0सी0 उपखण्ड अधिकारी छबडा में पेश किया गया जिसका निर्णय दिनांक 13.06.1996 को पारित की आवटियों का आवटंन निरस्त कर आवंटियों को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी (पूर्व खातेदारान) को दिलाने को आदेश तहसीलदार छबडा को दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आवटियों को बेदखल कर कब्जा मोहनलाल [illegible] बाई को दिलाया गया तथा नामान्तरण संख्या 880 दिनांक 22.07.1996 [illegible] तस्दीक किया गया तथा मूल खातेदारान मोहनलाल शांति बाई [illegible] के नाम दर्ज किया गया आवंटियों द्वारा उक्त निर्णयों के विरूद्ध [illegible] में अपील पेश नही की जिससे वादीगण को सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त की जा सकती थी वादीगण यह करने मे विफल रहे है क्योकि प्रतिवादीगण को भूमि सिलिंग एक्ट में आधिग्रहण हो जाने के वाद उनके द्वारा कोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पारित किया गया। वर्तमान में विवादित भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 265 के अनुसार प्रतिवादी मोहनलाल शांतिबाई आत्मज माणकचन्द जाति ब्राहम्ण सा0देह के खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा वादीगण अपना कब्जा काश्त साबित करने में विफल रहे है विवादित आराजी पर वादीगण का व उनके पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त नही रहा। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 6 :– उक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी की थी सिलिंग कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करने के वाद प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालयों की शरण ली जिससे प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय पारित किये गये। वादीगण तनकी साबित करने में विफल रहे है जिसके कारण समस्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वादीगण को किया गया आवटंन गलत निरस्त किया गया है समस्त तनकीयात प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित होने से यह साबित होता है कि वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 81/2022	धारा 88,89,90,91,183,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 21.05.2024

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्रीनारायणलाल चौरसिया—वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः—श्री अरविन्द प्रताप सिंह

वाद शीर्षक

1. नन्नुलाल आयु 55 वर्ष पुत्र सुल्तान
2. मुन्नालाल आयु 52 वर्ष पुत्र सुल्तान मृतक
2/1 मुन्नी बाई पत्नि मुन्नालाल
2/2 सुनिल पुत्र मुन्नालाल
2/3 अनिल पुत्र मुन्नालाल
2/4 कालु पुत्र मुन्नालाल
3. रामचरण आयु 53 वर्ष पुत्र सुल्तान
4. बब्बु आयु 45 वर्ष पुत्र सुल्तान
5. मोहन आयु 65 वर्ष पुत्र रघुनाथ जातियान हरिजन निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मोहनलाल आयु 68 वर्ष पुत्र माणकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी चौधरी मोहल्ला छबडा जिला बारां (राज0)
2. शांति बाई आयु 65 वर्ष पुत्री माणकचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी चौधरी मोहल्ला छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजथान सरकार जर्से तहसीलदार साहब छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 21.05.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:26 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादमित्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		